क्रम-संख्या–120(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 24 मार्च, 2026
चैत्र 3, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2

संख्या 657/81-2–2026-29(53)-2025
लखनऊ, 24 मार्च, 2026

अधिसूचना

प0आ0–156

चूंकि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) के अधीन 'संरक्षित वन' के रूप में घोषित किये जाने के लिये प्रस्तावित की गयी है;

और, चूँकि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यह परीक्षण किया गया है कि पूर्वोक्त भूमि को संरक्षित वन के रूप में घोषित करने से किसी भी व्यक्ति के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा रहा है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 'संरक्षित वन' घोषित करते है और यह भी अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किन्हीं नियमों के अधीन समस्त ऋतुओं में उक्त भूमि पर प्रदत्त समस्त अधिकार और विशेषाधिकार अबाध रूप से जारी रहेंगे।

अनुसूची

जिला	परगना	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7
अमेठी	रोखा	तिलोई	नवावां	1022 1192ख	1.7520 1.1260	**उत्तर**– गाटा संख्या 1076, 1024, 1023, 1025, 1189, 1190 **पूरब**– गाटा संख्या 1010, 1011, 1012, 1242, 1241, 1238, 1237 **दक्षिण**– गाटा संख्या 1238, 1241, 1242, 1243, 1240 से सटा हुआ, 1244, गाटा संख्या–1192, 1245, 1246, 1247, 1251, 1252 का शेष भाग

1	2	3	4	5	6	7
						पश्चिम– गाटा सं0 1076, 1190, 1193 (चकरोड), गाटा संख्या–1192, 1195, 1191 का शेष भाग
				योग	**2.8780**	

आज्ञा से,
वी0 हेकाली झिमोमी,
प्रमुख सचिव।

———

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 657/LXXXI-2–2026-29(53)-2025, dated March 24, 2026 :

No. 657/LXXXI-2–2026-29(53)-2025
Dated Lucknow, March 24, 2026

WHEREAS the land mentioned in the Schedule below has been proposed to be declared as 'protected forest' under the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927);

AND, WHEREAS it has been examined under sub-section (3) of Section 29 of the aforesaid Act that no rights of any person are being deprived by declaring the aforesaid land as protected forest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under Section 29 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare the land mentioned in the Schedule below to be "protected forest" from the date of publication of this notification in the Official *Gazette* and it is also notified that all rights and privileges conferred on the said land across all seasons under any rules published by the State Government shall continue unabated.

SCHEDULE

District	Pargana	Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Area (in Hectares)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7
Amethi	Rokha	Tiloi	Nawawan	1022 1192 KH	1.7520 1.1260	**North-**Gata No. 1076, 1024, 1023, 1025, 1189, 1190. **East-**Gata No. 1010, 1011, 1012, 1242, 1241, 1238, 1237. **South-**Gata No. 1238, 1241, 1242, 1243 In touch of 1240, 1244, Remaining Part of Gata No. 1192, 1245, 1246, 1247, 1251, 1252. **West-**Gata No. 1076, 1190, 1193 (Chakroad), Remaining Part of Gata No. 1192, 1195, 1191.
				Total	**2.8780**	

By order,
V. HEKALI ZHIMOMI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0 यू0पी0–ए0पी0 7 राजपत्र–2026–(17)–599+25=624 प्रतियां–(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।